

क्रमांक _____

दिनांक _____



माहेश्वरी प्रगति मण्डल

माहेश्वरी भवन, 603, जगन्नाथ शंकर रोड रोड, गिरगांव, मुम्बई - 400 002.

फोन : 2200 5026 / 27 / 28 / 33 / 36

Website : www.mumbaimaheshwari.com • E-mail: info@mpmmumbai.in

माहेश्वरी भवन में मण्डल के सदस्यों व उनके अतिथियों को कमरों में ठहरने/उपयोग हेतु
आरक्षण आवेदन - पत्र

मन्त्रो महोदय,

माहेश्वरी प्रगति मण्डल - मुम्बई

मैं आवेदनकर्ता, माहेश्वरी भवन (गिरगांव) में ठहरना चाहता/चाहती हूँ/ अपने अतिथियों को उपयोग हेतु ठहराना चाहता/चाहती हूँ।

१. नाम _____ पिता का नाम _____ जाति _____

२. पूर्ण पता _____

दूरध्वनि क्र. निवास _____ कार्यालय _____ मोबाईल _____

३. मण्डल सदस्य (हो तो) श्रेणी _____

४. कहाँ से आये हे/कहाँ से आयेंगे _____ कहाँ जाएंगे _____

५. साथ में रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी : पुरुष/महिला/बच्चों के नाम एवं रिश्ता _____

६. उपयोग का हेतु _____ आगमन का दिन एवं समय _____

७. ठहरने/उपयोग की अवधि _____ दिन / दिनांक _____ से दिनांक _____ तक

८. अग्रिम राशि रु. _____

९. अमानत राशि रु. _____

आरक्षण/उपयोग सम्बन्धी नियम मैंने पढ़ लिये हैं एवं मैं नियमों से सहमत हूँ एवं उन नियमों का पूर्णतया पालन करूँगा / उपयोगकर्ता भी उन नियमों का पालन करेंगे / नियम भंग होने पर व्यवस्थापक को मेरा / मेरे अतिथियों का स्थान खाली करवाने का अधिकार देता हूँ।

मैं मुम्बई निवासी श्री/श्रीमती _____ को जानता/जानती हूँ।

उनका दूरध्वनि क्र. _____ है।

नोट :- कृपया नियम हेतु पृष्ठ पलटिये।

(आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर)

भवन कार्यालय हेतु

कमरा क्र.

अग्रिम राशि प्राप्त रु.

अमानत राशि प्राप्त रु.

दिनांक

दिनांक

भवन व्यवस्थापक

भवन में मण्डल सदस्य ने उसके अतिथि के कमरों में ठहरने/उपयोग सम्बन्धी नियम :-

- १) एक कमरे में सामान्यतया दो व स्विकृति प्राप्त होने पर अधिक से अधिक तीन व्यक्ति ही ठहर सकेंगे।
- २) आवेदन में उल्लिखित व्यक्ति ही कमरे में ठहर सकेंगे।
- ३) कमरे की सफाई अतिथि को मण्डल के पारिचारक द्वारा प्रतिदिन करा लेनी होगी।
- ४) भवन के किसी सामान या सम्पत्ति का नुकसान होने पर उसका क्षतिपूर्ति मूल्य देना होगा।
- ५) कमरे में रसोई, चाय आदि बनाना अथवा सिगड़ी, स्टोव व इस्त्री का उपयोग करना सख्त मना है।
- ६) भवन में मदिरा / मादक एवं मांसाहार पदार्थ एवं पान, पान पराग, जर्दा, गुटखा आदि पदार्थ लाना / उपयोग करना सख्त मना है।
- ७) भवन में जुआ खेलना या बेटिंग की सख्त मनाई है।
- ८) बाहर जाते समय ए.सी. T.V., पंखा एवं लाइट बन्द करना अनिवार्य है।
- ९) अपने सामान की देखभाल स्वयं को करनी होगी। किसी तरह की क्षति / नुकसान या चोरी की जिम्मेदारी मण्डल की नहीं होगी।
- १०) भवन का मुख्य द्वार रात्रि के ११.३० बजे से प्रातः ५ बजे तक आवागमन के लिए बन्द रहेगा।
- ११) आरक्षण दिन की परिभाषा प्रातः ८ बजे से दूसरे दिन प्रातः ८ बजे तक समझी जाएगी।
- १२) विशेष परिस्थिति निर्माण होने पर भवन में ठहरने वाले व्यक्ति से बिना कारण बताए कमरा खाली करवाया जा सकेगा।
- १३) टेलीफोन उपयोग के लिये अतिरिक्त खर्च देना होगा।
- १४) उल्लिखित नियमों के अलावा आरक्षण संबंधी अन्य नियमों का भी पालन करना होगा।
- १५) मण्डल से तात्पर्य माहेश्वरी प्रगति मण्डल एवं भवन से तात्पर्य माहेश्वरी भवन गिरगांव।
- १६) उपयुक्त किसी भी नियम के भंग होने पर अविलम्ब स्थान खाली कराने का अधिकार भवन व्यवस्थापक को होगा।

वैद्यकीय उपचार के लिए आरक्षण हेतु अतिरिक्त जानकारी :-

- १) किस बिमारी का उपचार करवाने हेतु आये है ? _____
- २) मुम्बई में इलाज किस अस्पताल में करायेंगे ? _____
- ३) मुम्बई में उपचार किस डॉक्टर से करायेंगे ? _____
- ४) अपने स्थानीय डॉक्टर के सिफारिश पत्र की प्रतिलिपी _____